

(1)

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क्र. नं० २०/१५ तारीख २३.५.१५

उजवान - सुनील कुमार बाम बन्दलाल  
वगैरे

दावा बाबत तकासा एवं घोषणा-खोतकी  
वादी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा एव  
जे दावा बाबत तकासा एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
पेश किया। देस्तावेजों का अवलोकन किया  
गया। वावा दर्ज रजिस्ट्र कर प्रतिवादीगणों  
को जरिये सम्मन से तलब किया जावे दिनांक  
२४.५.१५ को पेश हो।

667-80  
15-4-15

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)

28/5 वादी वकील उपो प्रतिवादी नं. 1, 2, 10, 12, 14, 11  
बाबत सूचना उप नहीं है। प्रतिवादी नं. 1, 13 के  
लिखत बाद तमील प्राप्त नहीं। 1.0 सा करौली  
मीटिंग में पघोर है आइना दि 26.5.15 को  
पेश हो।

3/8/15 फतावली जनरल पेडी से पेश हुई।  
बुकबाय उपरिभर। 10 सदस्य चुनाव  
काफी में व्यक्त हैं। बालाबुधर दिनांक  
6-8-15 को पेश हो।

मूल वाद में डिक्की

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अलय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चोडवारी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) साकरवाडी

न अधिकारी:- जगदीश भाग्य R.A.S

उनवान

सुनील कुमार बनाम नरदलाल वर्मा

बत रुकासगा न्यायी निधि चाइना

नम्बर :- 20/15

देनांक :- 9-5-16

वादी की ओर से विष्णु कुमार दास की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9-5-16

(नाम पीठासीन अधिकारी जगदीश भाग्य R.A.S उपखण्ड अधिकारी,

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
तो जाती है कि -

सुनील कुमार पुत्र रामबाबू जाति महाजन निवासी  
मिथी का ग्राम गहरोली के खसरा नं० 1891, रकबा  
195 हे० का रकबादार काबूत कार पोषित किया जागा  
शेष रकबा सह वसुदेवराज की डिस्काउन्ट व डकलर  
जगदीश भाग्य के न्यायी निधि चाइना से  
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

ज तारीख 9-5-16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

जगदीश भाग्य  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर



वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
शॉ के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
मिशनर की फीस		कमिश्नर की फीस	
देशिका की तामील			
जोड		जोड	